सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 17/11 **निर्णय दिनांकः—27.07.2018**

1. दुर्गादेवी पुत्री भैराराम पत्नी रूपाराम माली निवासी राणीसर बास तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. चम्पालाल
2. अखेचन्द
3. मघाराम
4. मु. धन्नी
5. मु. अन्नी
6. मु. बरजी
7. मु. शांति

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. सोहनलाल जाति माली निवासी नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर।

8. मु. बनकी पत्नी स्व. अमोलख जाति माली निवासी नोखा रोड़, गंगाशंहर, बीकानेर।
9. जेठमल
10. मोतीराम
11. सीताराम
12. बाबूलाल
13. मु. पुष्पा
14. मु. सरला
15. मु. इन्द्रा
16. मु.नकू

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. अमोलख जाति माली निवासी नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर।

17. बाबूलाल
18. रामेश्वरलाल
19. राजू
20. शिव
21. हरिकिसन
22. मनोज
23. मु. भंवरी

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. श्रीमती पन्नी पुत्री सोहनलाल पत्नी नरसिंह जी भाटी जाति माली निवासी पंवारसर कुऍ के पास, बीकानेर।

24. शिवनारायण पुत्र भैराराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
25. मु. नानू पत्नी सुरजाराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
26. माणाकचन्द पुत्र सुरजाराम निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।

27. मु. सुशीला पुत्री सुरजाराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
28. मु. अखी पुत्री सुरजाराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
29. मूलचन्द पुत्र सुरजाराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
30. भंवरलाल पुत्र सुरजाराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
31. मु. आशा पत्नी श्रीराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
32. कानूराम
33. किशनलाल
34. रामेश्वर
35. मु. मुलीदेवी
36. मु. सुन्दरदेवी
37. मु. सन्तोष देवी
38. मु. पानादेवी

    पुत्र/पुत्रियॉ स्व. श्रीराम माली निवासी ग्राम किसमीदेसर, बीकानेर।

39. ओम
40. श्यामू
41. मु. निला
42. मु. कमला

    पुत्र/पुत्रियॉ मु. गंगा पुत्री भैराराम पत्नी गोरधन माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।

43. फतेहचन्द दत्तक पुत्र मुन्नीलाल निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
44. हरि
45. बुलाकी
46. सांवरा

    पुत्र मु. मघी पुत्री भैराराम निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।

47. मु. चौथी पुत्री भैराराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
48. उदो
49. करनो
50. माणक
51. मु. नानू

    पुत्र/पुत्रियॉ मु. मथुरा पुत्री भैराराम निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।

52. गोपाल
53. अरूण कुमार

    पुत्रगण सत्यनारायण जाति सोनी निवासी सदर बाजार, नोखा जिला बीकानेर।

54. आनन्द गहलोत पुत्र जुगल किशोर माली निवासी अन्त्योदय नगर, बीकानेर।
55. हिम्मत सिंह पुत्र नन्दलाल सिंह राजपूत निवासी हनुमानहत्था, बीकानेर।
56. दुर्गाशंकर पुत्र भंवरलाल जाति पंवार निवासी पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
57. सुधीर पंवार पुत्र बृजसिंह पंवार, निवासी पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
58. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर।
59. उप पंजीयक, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
दिनांक 07—03—1983

2. <u>अपील संख्या 32/11</u>

1. संतोषदेवी पुत्री श्रीराम जाति माली निवासी श्रीरामसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. माणकचन्द
2. भंवरलाल — पिसरान स्व. मूलचन्द
3. मूलचन्द
4. फतेहचन्द
5. खेती पत्नि रतनलाल जाति माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
6. धनराज पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
7. जेठमल
8. मोती — पिसरान अमोलखचन्द जाति माली निवासी किसमीदेसर
9. बाबू — तहसील व जिला बीकानेर।
10. सीताराम
11. बक्का बेवा अमोलखचन्द जाति माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
12. चम्पालाल
13. अखेचन्द
14. मघाराम — पिसरान सोहनलाल जाति माली निवासी किसमीदेसर
15. धन्नी — तहसील व जिला बीकानेर।
16. शिवनारायण पुत्र भैराराम जाति माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
17. कानाराम
18. रामेश्वरलाल
19. पानादेवी — पुत्र/पुत्रियॉ श्रीराम जाति माली निवासी
20. मूलीदेवी — किसमीदेसर, बीकानेर।
21. सुन्दरदेवी
22. आशादेवी — पत्नी श्रीराम जाति माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
23. मीरा पत्नी मुन्नीलाल जाति माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

24. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
25. दुर्गादेवी पत्नी भैराराम जाति माली निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
26. किशनलाल पुत्र स्व. श्रीराम जाति माली निवासी किसमीदेवी तहसील व जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

3. <u>अपील संख्या 45/11</u>

1. किसनलाल पुत्र श्रीराम जाति माली निवासी ग्राम किसमीदेसर तहसील बीकानेर हाल गंगाशहर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. माणकचन्द
2. भंवरलाल — पिसरान स्व. मूलचन्द
3. मूलचन्द
4. फतेहचन्द
5. खेती पत्नि रतनलाल
6. धनराज पुत्र रतनलाल
7. जेठमल
8. मोती — पिसरान अमोलखचन्द
9. बाबू
10. सीताराम
11. बक्का बेवा अमोलखचन्द
12. चम्पालाल
13. अखेचन्द
14. मघाराम — पिसरान सोहनलाल
15. धन्नी
16. शिवनारायण पुत्र भैराराम
17. कानाराम
18. रामेश्वरलाल
19. पानादेवी — पुत्र/पुत्रियॉ श्रीराम
20. मूलीदेवी
21. सुन्दरदेवी
22. सन्तोषदेवी

23. आशादेवी
24. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
25. दुर्गादेवी पुत्री भैराराम जाति माली निवासी हाल राणीसर बास, बीकानेर।

अपीलें विरुद्व निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बीकानेर
दिनांक 01—03—2011

4. <u>अपील संख्या 53/12</u>

1. दुर्गादेवी पुत्री भैराराम पत्नी रूपाराम माली निवासी राणीसर बास तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. चम्पालाल
2. अखेचन्द
3. मघाराम
4. मु. धन्नी
5. मु. अन्नी
6. मु. बरजी
7. मु. शांति

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. सोहनलाल जाति माली निवासी नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर।

8. मु. बनकी पत्नी स्व. अमोलख जाति माली निवासी नोखा रोड़, गंगाशंहर, बीकानेर।
9. जेठमल
10. मोतीराम
11. सीताराम
12. बाबूलाल
13. पुष्पा
14. सरला
15. इन्द्रा
16. नकू

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. अमोलख जाति माली निवासी नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर।

17. बाबूलाल
18. रामेश्वरलाल
19. राजू
20. शिव

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. श्रीमती पन्नी पुत्री सोहनलाल पत्नी नरसिंह जी भाटी जाति माली निवासी

21. हरिकिसन पंवारसर कुएँ के पास, बीकानेर।
22. मनोज
23. भंवरी
24. शिवनारायण पुत्र भैराराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
25. नानूदेवी पत्नी सुरजाराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
26. माणकचन्द पुत्र सुरजाराम निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
27. सुशीला पुत्री सुरजाराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
28. अखी पुत्री सुरजाराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
29. मूलचन्द पुत्र सुरजाराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
30. भंवरलाल पुत्र सुरजाराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
31. आशा पत्नी श्रीराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
32. कानूराम
33. किशनलाल
34. रामेश्वर
35. मुलीदेवी
36. सुन्दरदेवी
37. सन्तोष देवी
38. पानादेवी

पुत्र/पुत्रियॉ स्व. श्रीराम माली निवासी ग्राम किसमीदेसर, बीकानेर।

39. ओम
40. श्यामू
41. निला
42. कमला

पुत्र/पुत्रियॉ मु. गंगा पुत्री भैराराम पत्नी गोरधन माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।

43. फतेहचन्द दत्तक पुत्र मुन्नीलाल निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
44. हरि
45. बुलाकी
46. सांवरा

पुत्र मु. मघी पुत्री भैराराम निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।

47. चौथी पुत्री भैराराम माली निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।
48. उदो
49. करनो
50. माणक
51. नानू

पुत्र/पुत्रियॉ मु. मथुरा पुत्री भैराराम निवासी किसमीदेसर, बीकानेर।

52. गोपाल
53. अरूण कुमार

पुत्रगण सत्यनारायण जाति सोनी निवासी सदर बाजार, नोखा जिला बीकानेर।

54. आनन्द गहलोत पुत्र जुगल किशोर माली निवासी अन्त्योदय नगर, बीकानेर।
55. हिम्मत सिंह पुत्र नन्दलाल सिंह राजपूत निवासी हनुमानहत्था, बीकानेर।
56. दुर्गाशंकर पुत्र भंवरलाल जाति पंवार निवासी पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
57. सुधीर पंवार पुत्र बृजसिंह पंवार, निवासी पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
58. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बीकानेर
दिनांक 22–02–2012

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट(अपील संख्या 17/11)
2. श्री सत्यपाल सिंह शेखावत, अभिभाषक अपीलांट(अपील संख्या 32/11)
3. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट(अपील संख्या 45/11)
4. श्री ओम आचार्य, अभिभाषक अपीलांट (अपील संख्या 53/12)
5. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
6. श्री दाऊलाल, अभिभाषक यूआईटी, बीकानेर।
7. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपीलें उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 07–03–1983 व सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णव डिक्री दिनांक 01–03–2011 व 22–01–2012 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट्स के वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. चारों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन चारों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त चारों पत्रावलियों पर रखी जावे।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स द्वारा एक वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मय चिर निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा कथन किया गया था कि वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम गंगाशहर के खसरा नम्बर 119/116 तादादी 2.21 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि अपीलांट्ा के पिता स्व. भैराराम की खातेदारी भूमि थी। भैराराम के स्वर्गवास के पश्चात् भैराराम के पॉच पुत्र क्रमशः मुनीलाल, शिवनारायण, सुरजाराम उर्फ सुरजमल, श्रीराम, सोहनलाल व पॉच पुत्रियॉ मथुरा, गंगा, मघी चौथी व दुर्गा में उक्त भूमि बहिस्सा बराबर निहित हो गया। उपरोक्त भाईयों में से सुरजाराम उर्फ सुरजमल भैराराम के जीवनकाल में ही भैराराम के भाई रामकिशन के खोले चला गया। इस कारण चार भाई व पॉच बहिनों के बीच बराबर यानि 1/9 — 1/9 हक व हिस्सा निहित हो गया।

उन्होंने आगे बताया कि भैराराम के स्वर्गवास के पश्चात् हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके तमाम वरिसान के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज होना चाहिए था। लेकिन राजस्व अमला ने केवल मात्र पुत्रों के नाम से इंतकाल स्वीकृत किया तथा इसी का फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने हक व हिस्से से अधिक की भूमि का विक्रय कर दिया गया। जिसकी की उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं था। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट व अपीलांट की बहनों को पक्षकार बनाये बगैर एक दावा प्रस्तुत कर उसे डिक्री करवा लिया गया। अपीलांट्स को उक्त षड़यंत्र की सर्वप्रथम जानकारी अदालत मातहत के समक्ष टीआई की बहस के दौरान हुई जब दौराने बहस विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा इंतकाल संख्या 25 की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरण में अपीलांट दुर्गादेवी व अन्य चार बहिनों को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के हितों की अनदेखी करते हुए आदेश जैर अपील पारित किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा आगे बताया गया कि अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी संख्या 26 के द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार करते हुए अपीलांट्स के दावों को खारिज कर दिया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है। ऐसी स्थिति में यदि रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है तो ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि स्व अर्जित अथवा संयुक्त पैतृक सम्पति है यह तथ्य दोनों पक्षों की सहादत व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए साबित होने चाहिए थे। ऐसे मामलें जहॉ वादगत् भूमि की संबंध में अधिकार शहादर, साक्ष्य व सबूतों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित हो वहॉ आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है। जबकि अदालत मातहत को चाहिए था कि उनके समक्ष प्रस्तुत दावों में नियमानुसार साक्ष्य लेते हुए, जवाब दावा व तनकीयात् कायम करते हुए विधि सम्तत तरीके से आदेश पारित करते, अदालत मातहत द्वारा मात्र सरसरी तौर पर रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का सहारा लेते हुए पारित किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादगत् भूमि पर भैराराम के समस्त कानूनी वारिसों का कानूनन 1/9 हिस्सा बनता है तथा उन्हें अपने—अपने हिस्से तक की भूमि के विक्रय का ही अधिकार हासिल था लेकिन रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तमाम जायदाद का विक्रय किया गया है। जो कानूनन एबईनिशियोवाईड दस्तावेज है। अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष इसी आश्य का वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसे अदालत मातहत द्वारा मात्र सरसरी तौर पर बिना जॉच किये इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादगत् भूमि नगर विकास न्यास द्वारा धारा 90 'बी' राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वादगत् भूमि को अकृषि प्रयोजनाथ दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने से वादगत् पर इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है। अतः

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 141 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादगत् श्रवणाधिकार से बाहर होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 26 द्वारा रप्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित आदेश 14(2) (2) व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया था। जबकि शेष रेस्पोडेन्ट की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत मातहत द्वारा मात्र एक रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर व रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है।

अदालत मातहत के समक्ष मुख्य बिन्दु यह था कि क्या वादगत् भूमि भैराराम की थी अथवा नहीं? विक्रय पत्र सही है या नहीं ये सभी तथ्य साक्ष्य पर आधारित थे। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के वाद में निर्णय पारित करने स पूर्व ना तो नियमानुसार तनकी कायम की गई ना ही साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। मात्र आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 26 की तरफ से प्रस्तुत किया गया था, पर सरसरी तौर पर विवेचन करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की दी गई। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में अन्य प्रतिवादीगण को तलब ही नहीं किया गया। जबकि अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे जिससे साबित था कि वादगत् भूमि भैराराम की रही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन् भूमि पर सभी जायज वारिसान का बराबर हक व हिस्सा रहता है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में सभी पक्षकारों को तलब करते हुए सुनवाई, सबूत व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार को विवादित भूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सभी वारिसान की जॉच करनी चाहिए थी। नियमानुसार सभी जायज वारिसान को नोटिस दिया जाना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार द्वारा न तो वादगत् भूमि के बाबत् तमाम वारिसान की कोई जॉच की गई ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस की प्रदान किया गया। जिसके लिए अपीलांट्स कतई जिम्मेदार नहीं है।

ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कवर नहीं होती है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादगत् भूमि के बाबत् इंतकाल संख्या 25 दर्ज होना बताया गया है। उक्त इंतकाल किस आधार पर दर्ज किया गया, विरासतन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सभी जायज वारिसान को नोटिस दिया जाना कानूनन अनिवार्य है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तमाम तथ्य साक्ष्य के द्वारा साबित होने थे लेकिन अदालत मातहत ने अपीलांट्स के वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में प्रश्नगत् भूमि का विक्रय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभावी रहते किया गया है। अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 20—01—2011 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत होने पर दिनांक 15—02—2011 को जवाब दावा व दस्तावेज पेश किये गये। जिसमें उपरोक्त बैयनामें का जिक्र तक नहीं किया गया। अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादी संख्या 13 व 14 ने विभाजन हेतु काऊन्टर क्लेम दिनाक 18—01—2011 को प्रस्तुत किया गया व प्रतिवादी संख्या 26 ने दिनांक 21—12—2010 को काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। जिसे फर्द अहकाम दिनांक 20—01—2011 को लिया गया हैं लेकिन प्रतिवादी संख्या 13 व 14 केक काऊन्टर क्लेम को फर्द अहकाम में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के मुख्य आधार निम्न लिये गये है। 1. पक्षकारों के मध्य दिनांक 07—03—1983 को राजस्व न्यायालय में दावा

निर्णत हो चुका है। 2. सूरजमल क गोद चले जाने का दस्तावेज पेश नहीं है। 3. वादकारण हासिल नहीं होता है। 4. नगर विकास न्यास द्वारा 90 बी की कार्यवाही कर आवासीय पट्टे जारी करना व अतिरिक्त कलेक्टर, बीकानेर द्वारा रेफरेन्स खारिज करना व 5. श्रवणाधिकार नहीं होना। उपरोक्त सभी कारणों के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा बिना साक्ष्य व सबूत लिये ही मात्र सरसरी तौर पर निर्णय पारित किये गये है जबकि दावा 88, 188 का होने से उनका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को हासिल है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का कथन कि प्रस्तुत वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है विधि विरूद्व है। जहॉ तक पक्षकारों के पूर्वजों द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 07—03—1983 का प्रश्न है उसमें मात्र खातेदारी का अनुतोष चाहा गया था। इस प्रकार दोनों दावों के तथ्य भिन्न है। इसलिए यह आधार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में नहीं लिया जा सकता। जहॉ तक सुरजमल के रामकिसन के गोद जाने का प्रश्न है तत्समय प्रचलित बही भाट की सत्य प्रति दावे के साथ संलग्न है जिसे अदालत मातहत द्वारा देखा तक नहीं गया है। जहॉ तक वादगत् भूमि नगर विकास न्यास द्वारा धारा 90 'बी' किये जाने व पट्टे बनाने का प्रश्न है उसमें ना तो भूमि का हवाला है ना ही न्यास आवश्यक पक्षकार है। उक्त सभी तथ्यों का निर्धारण गुणावगुण पर नियमानुसार जवाब दावा, साक्ष्य व तनकीयात् कायम करते हुए किया जाना अपरिहार्य था। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किये गये है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तमाम तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत अपीलांट्स का दावा खारिज किया गया है। जबकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से आदेश 7 नियम 11

सीपीसी के क्लोत से संबंधित हो लेकिन अपीलांट्स के प्रकरण जवाब दावा, तनकीयात कायम कर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिए था। प्रस्तुत प्रकरणों में वादगत् भूमि स्व अर्जित है अथवा संयुक्त पैतृक सम्पति है। दोनों ही तथ्य पक्षकारों की शहादत व मैरिट्स पर निर्णित होने चाहिए थे। प्रस्तुत मामलें में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की आपत्ति केवल मात्र न्यायालय ही उठा सकता है। प्रतिवादी को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत एतराज उठाने का अधिकार नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत केवल मात्र दावे को देखा जाता है। प्रतिवादी का डिफेन्स आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के स्कोप से बाहर जाकर खारिज किया गया है। अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश एक अपूर्ण आदेश की परिभाषा का आदेश है। जोकि पुष्टि योग्य आदेश नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जाकर अपीलांट्स की अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वे प्रकरण में साक्ष्य एवं तनकीयात् कायम करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में एआईआर 1989 Call 120 (123) 'a', AIR 1970 All P 309 F, RRT 2011 (2) p 1395, RRT 2010 (1) P 720, RLW 1990 (2) P 427, RRD 2003 Page 89, RRD 2009 Page 808, AIR 1958 Manipur Page 27A, AIR 1970 All. Page 309, AIR 2000 Bombay 161 'B' RRD 1994 Page 77, RBJ 2006 Page 671, RRD 1997 Page 285 DB, RRD 1983 Page 554 RRD 1982 Page 147, AIR 1954 S.C. Page 340, RBJ 2015 Page 415 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत् वादगत् भूमि खसरा नम्बर 119/116 तादादी 2.61 हेक्टर वाके रोही ग्राम गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर में स्थित है, प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभिकथन किया गया है कि वादगत् भूमि पर स्व. भैराराक के तमाम वारिसान का 1/9—1/9 हिस्सा निहित है। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 26 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व आर्डर 14 रूल 2 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया गया कि भैराराम के पुत्र सुरजाराम रामकिसन के खोले चजा गया और उसका हिस्सा समाप्त माना जावे। सुरजमल किस तिथि को कब रामकिशन के खोले गया इसक दावें में कहीं अंकन नहीं है ना कोई इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वादगत् भूमि भैराराम के नाम दर्ज चली आ रही थी। भैराराम का स्वर्गवास दिनांक 06—07—1954 होने पर उनकी पुत्रियों का हिस्सा इस जायदाद में नहीं रहा है। इसके अलावा एक अन्य वाद उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर में चला जिसमें वादिनी के पिता भैरारा के वारिसान ने दावा पेश किया था। उक्त दावा में सुरजाराम पक्षकार था जो दावा दिनांक 07—03—1983 को तय हुआ। उक्त दावें में सुरजाराम के गोद का कहीं हवाला नहीं है। उक्त दावें में भैराराम के पॉच पुत्र श्रीराम, सुरजाराम, सोहनलाल, मुन्नीलाल व शिवनारायण वारिस थे तथा इन्होनें ही दावा डिक्री करवाया था। उक्त दावे के निर्णय के आधार पर रिकार्ड में अंकन किया गया। अब नया तथ्य बना कर कि सुरजाराम रामकिशन के खोले चला गया, दावा प्रस्तुत किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 119/116 की 2.21 हेक्टर भूमि वाके ग्राम गंगाशहर की भैराराम के तमाम वारिसान ने 90 'बी' की कार्यवाही करवा ली गई है और 90 'बी' के तहत नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा कार्यवाही करने के उपरान्त इंतकाल संख्या 30 के द्वारा दर्ज हो चुकी है। 90 'बी' की कार्यवाही के तहत रामेश्वरलाल, श्रीराम, सुरजाराम, सोहनलाल व मुन्नीलाल ने अपने—अपने हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से विक्रय की जा चुकी है तथा इन सभी दस्तावेजों के आधार पर कार्यालय नगर विकास न्यास द्वारा विधिवत पट्टे भी जारी कर दिये गये है। उन सभी

की प्रतियॉ पत्रावली में पेश की गई है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि खसरा नम्बर 119/116 तादादी 2.21 हेक्टर भूमि वाके ग्राम गंगाशहर की कृषि भूमि नहीं रही है तथा इस तमाम भूमि पर मकानात् बन चुके है एवं उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं रही है। वादगत् भूमि पर 90 'बी' की कार्यवाही के उपरान्त प्लॉटिंग हो चुकी है तथा नगर विकास न्यास द्वारा पट्टे भी जारी किये जा चुके है तथा सभी पट्टे रजिस्टर्ड भी हो चुके है तथा वादगत् भूमि पर भूमि आगे से आगे विक्रय हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि नगर विकास न्यास, बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 10—02—2011 के तहत 90 'बी' की कार्यवाही कर दी गई है ऐसी स्थिति में जब वादगत् भूमि निर्णय 90 'बी' के तहत हो चुका है तो ऐसी स्थिति में दावा पोषणीय नहीं है और ना ही आदेश दिनांक 10—03—2011 को चुनौती दी गई है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि भैराराम के तमाम वारिसान ने स्वयं 90 'बी' की कार्यवाही नगर विकास न्यास, बीकानेर में करवाई है और जमीनों का हस्तान्तरण विधिवत रूप से किया गया है। तत्पश्चात् पट्टे रजिस्टर्ड हो चुके है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि किसी भी तरह से कृषि भूमि नहीं रही है। लिहाजा दावा प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं होने व आर्डर 2 रूल 2 के ताबे बार्ड बाई लॉ है क्योंकि धारा 90 बी के तहत जब नगर विकास न्यास ने कोई निर्णय कर दिया है तो ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय 90 'बी' के तहत किये गये निर्णय को बदल नहीं सकती है क्योंकि उसका श्रवणाधिकार अलग से है। राजस्व न्यायालय को नगर विकास न्यास के निर्णय दिनांक 10—03—2011 को बदलने की अधिकार हासिल नहीं है। उसके लिए सक्षम न्यायालय ही कार्यवाही कर सकता है। लेकिन अपीलांट्स उक्त दावे के माध्यम से नगर विकास न्यास, बीकानेर के निर्णय दिनांक 10—03—2011 को अपास्त कराना चाहते है। जबकि आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा बार्ड बाई लॉ हो जाता है क्योंकि सक्षम न्यायालय नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा विधिवत रूप से दिनांक 10—03—2011 को निर्णय पारित किया जा चुका है एवं वादगत् भूमि को 90 'बी' की कार्यवाही करके विधिवत रूप से न्यास के नाम दर्ज की है तथा भैराराम के जायज वारिसान द्वारा वादगत् भूमि को बेचान कर दिया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि तमाम वादगत् भूमि का बेचान किया जा चुका है तथा दो—दो मंजिला मकान भी बन चुके है। नगर विकास न्यास द्वारा नियमानुसार निर्माण की अनुमति प्रदान की गई तथा जिन व्यक्तियों द्वारा जमीन खरीद की गई उनके द्वारा बैंकों से लोन लिया गया है। ऐसी स्थिति में यदि माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है तो वादगत् भूमि पर त्राहि—त्राहि मच जायेगी। वादगत् भूमि पर लाखों रूपये लेकर लोगों ने जमीनें खरीदी है तथा लोन लिया हुआ है तथा पट्टे रजिस्टर्ड हो चुके है। यदि उन्हें निरस्त किया गया तो लोगों का जीना हराम हो जायेगा। चूंकि पट्टे रजिस्टर्ड हो चुके है जिन्हें कानूनन सिविल कोर्ट द्वारा ही चेलेंज किया जा सकता है। अपीलांट्स द्वारा वर्ष 2011 से लेकर आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही 90 'बी' को निरस्त कराने की नहीं की गई है नाही 90 'बी' की कार्यवाही को चैलेंज किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा निर्णय इसी आधार पर पारित किया गया है।

हस्तगत् प्रकरण में एक अन्य अपील किसनलाल बनाम माणकचन्द दावा संख्या 285/2010 प्रस्तुत की गई है उसमें भी लगभग यही तथ्य है। सुरजाराम के वारिसान माणकचन्द ने उक्त जायदाद में से एक भूखण्ड आनन्द गहलोत को बेच दिया गया व आनन्द गहलोत ने समता जैन, राजश्री जैन को उक्त जायदाद बेच दी गई। फिर भी इन लोगों का दिल नहीं भरा तो किसनलाल व संतोष आदि ने धारा 145 सीआरपीसी के तहत थाना गंगाशहर से मिलकर राजश्री व समता जैन की खरीदशुदा भूमि को एक पक्षीय कुर्क करवा दी गई। उक्त कुर्की सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। वादगत् भूमि जरिये 90 'बी' अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में धारा 88 व 188 के तहत कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत लिटिगेशन एक बोगस लिटिगेशन है। अपीलांट्स द्वारा जब वादगत् भूमि का बेचान किया जा चुका है और रजिस्ट्री करवाई जा चुकी है व पट्टे जारी हो चुके है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार होने से तमाम क्रेताओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में आरएलडब्ल्यू 1989 पेज 280 कौशल्यादेवी बनाम सरकार में 26 गांव राज्य सरकार ने अरबन ऐरिया

धोषित किये गये थे तथा तमाम भूमि पर मकानात् बन चुके है ऐसी स्थिति में राजस्व भूमि का अस्तित्व नहीं रहा है। इस वाद को सुनने का अधिकार भी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में दावा सही रूप से खारिज किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह कहा है कि जहॉ भूमियों में प्लॉटिंग हो गई हो वहॉ राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है ऐसी स्थिति में दावा पोषणीय नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने सही खारिज किया है। प्रकरण में वादगत् भूमि पर पट्टे नगर विकास न्यास द्वारा जारी किये गये है, इस तथ्य की तमाम जानकारी अपीलांट्स को होने पर भी अपीलांट्स द्वारा इस तथ्य को छिपाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स स्वयं अदालत मातहत के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा क्लीन हैण्ड से नहीं आने के कारण दावा खारिज किये जाने योग्य होने से अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत तरीके से अपीलांट्स के दावों को खारिज किया गया है। राजस्थान नगर विकास न्यास अधिनियम, 1959 धारा 2 तथा 3 और राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम धारा 102 क राजस्व के अधीन गांव के विशेष भाग को नगरीय क्षेत्र धोषित करना। तब उस क्षेत्र विशेष पर भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधान महत्वहीन हो जायेंगे।

इस प्रकार अपीलांट्स/वादीगण द्वारा कन्सीलमेंट ऑफ फेक्ट अर्थात तथ्यों को छिपाते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अपीलांट/वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे अपीलांट/वादी के कथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। जहॉ तक वादगत् भूमि के विक्रय पत्रों को शून्य करार करने का कथन है। इस संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार हासिल है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का वाद क्षेत्राधिकार, बार्ड बाई लॉ व कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 126 द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 के

प्रार्थना पत्र पर खारिज किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट II पेज 1390 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभिलिखित है किः—?

CPC Order 7 Rule 11, Sec. 151 - Dismissal of suit - Abuse of law and process of the Court - Held - Plaint can be rejected on the grounds mentioned in order 7 ru;e 11 cpc. like the suit is barred by law or it does not disclose the casue of action or proper Court fees has not been aid even after order of the court- If the suit is abuse of process of the court and cannot be dismissed u.o 7 r 11 cpc then the court is not helpless and can dismiss the suit invoking power u/s 151 cpc.

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 26 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर अपना पूर्ण विवेचन करते हुए पाया कि अपीलांट/वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वादगत् भूमि के बाबत् धोषणात्मक दावा पेश करने का कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं होता है। साथ ही दावे में चाहा गया अनुतोष क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः कॉज ऑफ एक्शन के अभाव में, दावा बार्ड बाई लॉ होने के कारण व क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अपीलांट/वादी का वादपत्र खारिज किया गया है। अदालत मातहत का निर्णय पूर्ण रूप से विवेकपूर्ण व न्याय की परिधि के पारित किया गया निर्णय है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में एआईआर 1987 एससी पेज 1926, आरएलडब्ल्यू 1989 पार्ट II पेज 380, एआईआर 1995 बोम्बे पेज 227, एआईआर 1998 कलकत्ता पेज 252, आरएलडब्लयू 2009 पार्ट III पेज 2296, डीएनजे 2011 पार्ट II राजस्थान पेज 842, डीएनजे 2012 पार्ट I राजस्थान पेज 531, आरएलडब्ल्यू 2015 पार्ट IIII पेज 2936, डीएनजे 2017 पार्ट II पेज 970, डीएनजे 2017 पार्ट

II पेज 129, एआईआर 2018 कर्नाटक पेज 82 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक नगर विकास न्यास द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलांट्स द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया गया है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सोहनलाल, शिवनारायण, सुरजमल, श्रीराम पिसरान भैराराम व सुवा द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था। भैराराम का स्वर्गवास दिनांक 06—07—1954 को हो जाने के कारण भैराराम की लड़कियों का अधिकार नहीं होने के कारण भैराराम के पुत्रों ने दाव किया था। अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है।

उन्होनें आगे बताया कि विवादग्रस्त भूमि भैराराम के सभी जायज वारिसान ने 90 बी की कार्यवाही करवाकर भू—उपयोग परिवर्तन करने का आदेश नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 10—03—2011 को जारी किया जा चुका है तथा वादगत् भूमि के बाबत् 90 'बी' की कार्यवाही की जाकर उक्त भूमि का विक्रय आदि सभी हिस्सेदारों द्वारा किया जाकर नगर विकास न्यास द्वारा पट्टे जारी किये जा चुके है। इसलिए अपीलांट को अपील में केाई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः अपील संधारण योग्य नहीं होने व मियांद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य होने से अपील निरस्म फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/वादीगण का उक्त दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि वाके ग्राम गंगाशहर के खेत खसरा नम्बर 119/116 तादादी 2.21 हेक्टर भूमि अपीलांटान् के पिता भैराराम वल्द सदासुख के नाम रही है। वादगत् भूमि अपीलांटान् के भैराराम पिता के नाम सन् 1946 से बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित है। अपीलांट्स के पिता का स्वर्गवास विक्रम संवत् 2013 असाड़ बदी 12(बाहरस) तदनुसार दिनांक 05—07—1956 को हो गया था भैराराम के स्वर्गवास के पश्चात् भैराराम के पॉच पुत्र क्रमशः मुनीलाल, शिवनारायण, सुरजाराम उर्फ सुरजमल, श्रीराम, सोहनलाल व पॉच पुत्रियॉ मथुरा, गंगा, मघी चौथी व दुर्गा में उक्त भूमि बहिस्सा बराबर निहित हो गया। उपरोक्त भाईयों में से सुरजाराम उर्फ सुरजमल भैराराम के जीवनकाल में ही भैराराम के भाई रामकिशन के खोले चला गया। इस कारण चार भाई व पॉच बहिनों के बीच बराबर यानि 1/9 — 1/9 हक व हिस्सा निहित हो गया। **भैराराम पुत्र सदासुख की वंशावली निम्न प्रकार हैः—**

भैराराम पुत्र सदासुख

मुन्नीलाल (पुत्र)	**शिवनारायण** (पुत्र)	**श्रीराम** (पुत्र)	**सोहनलाल** (पुत्र)	
मु. मथुरा (पुत्री)	**मु. गंगा** (पुत्री)	**मु. मघी** (पुत्री)	**मु. चौथी** (पुत्री)	**मु. गंगा** (पुत्री)

(3) प्रकरण में अपीलांट द्वारा उक्त कथनानुसार एक वादपत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 26 द्वारा दिनांक 28—03—2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण संख्या 26 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपीलांट/वादी का वादपत्र खारिज किया गया है।

(4) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादगत् भूमि ग्राम गंगाशहर के खेत खसरा नम्बर 119/116 तादादी 2.61 हेक्टर भूमि भैराराम वल्द सुदासुख की एक पैतृक सम्पति रही है। कानूनन मृतक भैरा के तमाम वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में आना चाहिए था। लेकिन रेस्पोडेन्ट्स द्वारा विधि विरूद्व तरीके से वादगत् भूमि को नगर विकास न्यास से 90 'बी' करवाया जाकर अपने हिस्से तक की भूमि के विक्रय का ही अधिकार हासिल किया तथा उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तमाम जायदाद का विक्रय किया गया है।

अनाधिकार विक्रय के मामलो में यह विचारणीय प्रश्न है कि उक्त बेचान प्रारम्भतः ही शून्य है या शून्यकरणीय।

प्रस्तुत मामलें में पक्षकारों द्वारा अपने हिस्से से अधिक तथा अनाधिकार रूप से कपटपूर्ण तरीके से भूमि प्राप्त कर गलत रूप से खातेदारी प्राप्त कर – अन्य सह खातेदारों के जायज हकों से वंचित करते हुए विक्रय किया जाना मामलें के विवेचन, प्लीडिंग व दस्तावेजात् से स्पष्ट परीलक्षित होता है। लिहाजा उक्त विक्रय प्रारम्भ से एब ईनिशियों वाईड की श्रेणी के दस्तावेजात् है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है।

उक्त तमाम तथ्य अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली पर मौजूद होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् शेष प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश कानून की दृष्टि से अपरिपूर्ण आदेश की परिभाषा का आदेश है।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित था कि वादगत् भूमि भैरा की रही है। **हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन् भूमि पर सभी जायज वारिसान का बराबर**

हक व हिस्सा रहता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में सभी पक्षकारों को तलब करते हुए सुनवाई, सबूत व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार वादगत् में वर्णित तथ्यों के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए कायम की गई तनकियों का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो पुष्टि योग्य आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

(6) जहॉ तक प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मौरूसी जायदाद पर पुत्रियों के अधिकार का प्रश्न है इस संबंध में धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी निम्नानुसार दर्शाये गये हैः–

1- Son,
2- daughter,
3- widow,
4- mother;
5- son of a predeceased son;
6- daughter of a predeceased son;
7- son of a predeceased daughter;
8- daughter of a predeceased son;
9- widow of a predeceased son;
10- son of a predeceased son of a predeceased son;
11- daughter of a predeceased son of a predeceased son;
12- widow of a predeceased son of a predeceased (son of predeceased daughter of a pre-deceased daughter, daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a predeceased son of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter of a predeceased son)

(7) उपरोक्त विवरण के अनुसार अपीलांट्स हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत स्व. भैराराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी की श्रेणी में आना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में हिन्दु सक्सेशन एक्ट की धारा 8 के तहत मौरूसी जायदाद पर उसके पिता की मृत्यु के उपरान्त ही उसकी पुत्रियॉ उत्तराधिकारी बनती है।

हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मौरूसी जायदाद पर उनके पिता की मृत्यु के बाद उसकी पुत्रियॉ भी उत्तराधिकारी बनती है। भैराराम की मृत्यु के उपरान्त उसकी सम्पति उनके प्रथम श्रेणी के हेयर अर्थात उनके पुत्रों व पुत्रियों में निहित हो जाती है। अतः अपीलांट्स वादगत् भूमि के प्रथम श्रेणी का हेयर है। प्रकरण में अपीलांट्स का मुख्य आधार यह है कि वह स्व. भैराराम की पुत्रियॉ होने के नाते वादगत् भूमि बनता है। जबकि भैरारम की मृत्यु अपीलांट्स का हिन्दु विधि के अनुसार बराबर हिस्सा प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि वादगत् भूमि स्व. के उपरान्त स्वतः ही उसमें निहित होनी थी।

ऐसे मामलों में जहॉ निर्णय तकनीकी आधार पर वाद को प्राथमिक स्तर पर गौण कारणों से खारिज किया गया हो – तथा वादीगण के मूल्यवान अधिकारों बाबत् पूर्ण विनिश्चय से वंचित किया गया हो – उसे तत्पश्चात् प्राक्न्याय के सिद्वान्त द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में उस विनिश्चय के गुणावगुण, पक्षकार निर्णय के आधार पर पक्षकार के प्रति अन्याय की मंशा भी विचारणीय पहलू है।

(8) प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र एक रेस्पोडेन्ट संख्या 26 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत करने पर आनन–फानन में अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में बिना तनकीयात् कायम किये व अन्य पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज आदेश है।

(9) प्रकरण में इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत नजीर एआईआर 1986 कॉल 120 (123) 'ए' में अभिनिर्धारित है कि Civil

P.C. 5 of 1908 O 7 R 11 (a) Rejection of Plaint - Plea that there is no cause of action for suit - Not a ground for rejection of plaint, AIR 1957 Assam 49Rel.

इसी प्रकार एआईआर 1970 ऑल पेज 309 एफबी में अभिनिर्धारित किया गया है कि Civil P.C. 1908 Or 7 R 11 - Total want of cause of action - Dismissal of Plaint on that ground, whe permissible. There is a clear distinction between a case where the plaint itself does not disclose any cause of action and a case in which, after the parties have produced oral and documentary evidence, the court, on consideration of the entire material on record, comes to the conclusion that there was no cause of action for the suit. In the latter case, obviously, the plaint cannot be rejected under O 7 R 11. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(10) प्रस्तुत मामलें में जहॉ तक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का प्रश्न है, चूंकि प्रश्नगत् मामलें में रेस्पोडेन्ट् अर्थात भैराराम के पुत्रों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व अपने हक व हकूक के धारण की भूमि से अधिक भूमि को नगर विकास न्यास से 90 'बी' करवाते हुए भूमि का आगे–से–आगे बेचान व हस्तान्तरण किया गया है तथा उक्त बेचान, हस्तान्तरण व वादगत् भूमि की 90 'बी' की कार्यवाही आरम्भतः ही शून्य एवं एब ईनिशियों वाई दस्तावेज होने से अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें मामलें पर चस्पा नहीं होती है।

(11) प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् का कथन है कि वादगत् भूमि के बाबत् तमाम वारिसों ने नगर विकास न्यास से 90 'बी' की कार्यवाही करवा ली गई है तथा तमाम भूमि नगर विकास न्यास के नाम

से 90 'बी' की कार्यवाही के उपरान्त जरिये इंतकाल संख्या 30 दर्ज हो चुकी है। वादगत् भूमि का हस्तान्तरण विधिवत रूप से किया जा चुका

है तथा उसके बाद पट्टे भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि कृषि भूमि नहीं रही है। अतः दावा प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं होने व क्षेत्राधिकार से बाहर होने के बार्ड बाई लॉ हो जाता है।

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि ग्राम गंगाशहर के खेत खसरा नम्बर 119/116 तादादी 2061 हैक्टर भूमि भैराराम पुत्र सदासुख के नाम दर्ज रही है तथा उनके स्वर्गवास के उपरान्त वादगत् भूमि भैराराम के तमाम वारिसान के नाम अर्थात भैराराम के पुत्र व पुत्रियों के नाम विरासतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी चाहिए थी। प्रकरण में भैराराम के पुत्रों द्वारा वादगत् भूमि का विरासतन इंतकाल अपने नाम दर्ज करवाते हुए तमाम वादगत् भूमि को नगर विकास न्यास से 90 'बी' करवाते हुए बेचान किया गया है। जिसका कि उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं था। क्योंकि वादगत् भूमि पर भैराराम के चार पुत्रों के साथ–साथ भैराराम की पॉच पुत्रियों क्रमशः मु. मथुरा, मु. गंगा, मु. मघी, मु. चौथी व मु. दुर्गा का 1/9–1/9 हिस्सा निहित था।

ऐसी स्थिति में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किये गये विक्रय को कानून की आड़ में सही करार दिया जाना व कानूनी पेचिदगियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार करना किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा मात्र यह कथन करते हुए कि नगर विकास न्यास के आदेश दिनांक 10–03–2011 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी थी, त्रूटिपूर्ण विचार व निष्कर्ष के वसीभूत व मामलें सम्पूर्ण पहलू व मौलिक तथ्यों को ध्यान में लिये बिना व मामलें की रूह में जाये बिना सरसरी तौर पर आदेश पारित किये जाने की नियत मात्र से किया गया कृत्य है। जिसका अनुचित लाभ प्रतिवादीगण को मिलता प्रतीत होता

है। जिसे न्यायहित में व वादगत् भूमि पर पुत्रियों के अधिकारों की सुरक्षा करने की दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(12) प्रकरण में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे प्रकरण की रूह में जाकर यह देखा जाना चाहिए था कि **क्या वादगत् भूमि वास्तव में भैराराम वल्द सदासुख के नाम दर्ज भूमि थी तथा भैराराम वल्द सदासुख के जायज वारिसान का वादगत् भूमि पर कितना–कितना हक व हिस्सा बनता है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण के संबंधित तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलांट/वादी का वादपत्र क्षेत्राधिकार से बाहर, कॉज ऑफ एक्शन व दावा बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर खारिज किया गया है।**

(13) प्रश्नगत् मामलें में रेस्पोडेन्ट्स का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि को स्वर्गीय भैराराम के पुत्रों द्वारा दिनांक 10–03–2011 को नगर विकास न्यास 90 'बी' करवा ली गई है तथा तमाम भूमि का बेचान किया जाकर नगर विकास न्यास द्वारा पट्टे भी जारी किये जा चुके है तथा जमीनों का हस्तान्तरण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के बाबत् राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है। अदालत मातहत द्वारा भी इसी तथ्य पर अपीलांट्स के वाद खारिज किये गये है।

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि सर्वप्रथम अदालत मातहत को यह देखा जाना चाहिए था कि वादगत् भूमि के बाबत् भैराराम के पुत्रों को ही क्या वादगत् भूमि पर अधिकार हासिल है, क्या वादगत् भूमि पर भैराराम के अन्य वारिसान अर्थात पुत्रियों को कोई अधिकार हासिल होते है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्यों पर कोई गौर किये बिना व वादगत् भूमि भैराराम के तमाम वारिसान की जॉच किये बिना ही मात्र नगर विकास न्यास के आदेश की आड़ लेते हुए आदेश जैर अपील पारित किये गये है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जब किसी भूमि के बाबत् आरम्भतः में ही अधिकार विधि विरूद्व तरीके से प्राप्त किये गये हो तथा उक्त विधि विरूद्व तरीके से प्राप्त किये गये अधिकारों के आधार पर यदि वादगत् भूमि का आगे–से–आगे बेचान भी कर दिया गया हो, तो विधि यह कहती है उक्त समस्त पश्चात्वर्ती कार्यवाही भी

अपने आप में दूषित कार्यवाही है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का यह कथन कि वादगत् भूमि पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 'बी' की कार्यवाही की जा चुकी है। अतः न्यायालय को श्रवणाधिकार में नहीं आने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। सही नहीं है। क्योंकि अदालत मातहत को यह देखा जाना चाहिए था

कि क्या उक्त 90 'बी' की कार्यवाही सही रूप से सम्पादित भी की गई है अथवा नहीं? क्या उक्त कार्यवाही के दौरान किसी जायज व्यक्ति के हितों एवं अधिकारों की उपेक्षा करते हुए तो कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य का खुलासा अथवा विस्तृत विवेचन नहीं किया गया कि अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र किस आधार पर क्षेत्राधिकार से बाहर है, अपीलांट/वादी को कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है अथवा दावा बार्ड बाई लॉ है। केवल मात्र यह लिखने से की अपीलांट/वादी का वादपत्र क्षेत्राधिकार से बाहर है, अपीलांट/वादी को कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है अथवा दावा बार्ड बाई लॉ है अधिनस्थ न्यायालय अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता।

9. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर दिनांक 07–03–1983 सहायक कलेक्टर, बीकानेर दिनांक 01–03–2011 व 22–02–2012 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को सहायक कलेक्टर, बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निर्णय के पृष्ठ संख्या 19 से 27 में वर्णित विवेचना के आधार पर पुत्रियों का हक सुनिश्चित करते हुए प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व प्रकरण में साक्ष्य एवं तनकीयात् कायम करते हुए दो माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की एक–एक प्रति जिला कलेक्टर, बीकानेर व सचिव नगर विकास न्यास, बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 27.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर
सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर